

FORM No. III

Crime-I





फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...
कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

बाबुराम बनाम जेठाराम

मु. नं. 98सन्. 2023.

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
11.2023	<p>प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया, प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय यानि अप्रार्थीगण के पक्ष को सुने बिना सादिर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी की अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली वास्ते जबाबदेही बाबत् दिनांक 08.12.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर खीवसर </p>	<p style="text-align: right;">    2 </p>

3/12

वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि हम पक्षीकारण के मध्य विवादग्रस्त खसरा को लेकर अब कोई विकास नहीं रहा, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जरिये विज्ञापन जारी करवाना चाहते हैं अतः आरिज किया जावे।

वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी

का इतना दरखास्त स्वीकार की जाती है
प्राथमिकता का प्राथमिकता पत्र अन्तर्गत द्वारा 2123 मात
का जरिये विज्ञापन खारिज किया जाता है

पजावली कासल शुमार होकर कास जाता

दखिल स्फर हो ।



सहायक कमिश्नर
(SDO), खीवसर